



महत्वपूर्ण सूचना

सभी संबंधित शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि विद्यार्थियों के आवेदन पत्र पर संबंधित विषय के शिक्षक का शिक्षक पंजीकरण क्रमांक (Teacher Registration Number) सही रूप से अंकित करना अनिवार्य है।

1. जिस शिक्षक का जो विषय है, उसी विषय के विद्यार्थियों के फॉर्म पर निम्नानुसार संबंधित शिक्षक का ही पंजीकरण क्रमांक अंकित किया जाना चाहिए।

विद्यार्थी	शिक्षक पंजीयन क्रमांक
गायन/हार्मोनियम	स्वर वाद्य के ही शिक्षक पंजीयन क्रमांक दे सकते हैं।
तबला/पखवाज	ताल वाद्य के ही शिक्षक पंजीयन क्रमांक दे सकते हैं।
कथक	कथक के ही शिक्षक पंजीयन क्रमांक दे सकते हैं।
भरतनाट्यम	भरतनाट्यम के ही शिक्षक पंजीयन क्रमांक दे सकते हैं।
ओडिसी	ओडिसी के ही शिक्षक पंजीयन क्रमांक दे सकते हैं।

किसी अन्य विषय के विद्यार्थियों को किसी अन्य विषय के शिक्षक का पंजीकरण क्रमांक प्रदान नहीं किया जाए। यदि किसी विद्यार्थी के आवेदन पत्र पर उसके विषय से संबंधित न होने वाले शिक्षक का पंजीकरण क्रमांक अंकित किया हुआ पाया जाता है, तो संबंधित विद्यार्थी का फॉर्म निरस्त (रद्द) कर दिया जाएगा। साथ ही, गलत पंजीकरण क्रमांक प्रदान करने वाले संबंधित शिक्षक का शिक्षक पंजीकरण क्रमांक भी निरस्त (रद्द) कर दिया जाएगा।

जिस शिक्षक द्वारा संबंधित विद्यार्थियों को संबंधित विषय का अध्यापन कराया जाता है, उसी शिक्षक के हस्ताक्षर एवं मुहर संबंधित विद्यार्थियों के फॉर्म पर अंकित होना अनिवार्य है। गलत जानकारी अथवा गलत पंजीकरण क्रमांक अंकित किए जाने की स्थिति में इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित शिक्षक एवं विद्यार्थी की होगी।

2. शिक्षक पंजीकरण क्रमांक शिक्षक को जिस स्तर तक दिया जाता है, उसी स्तर के विद्यार्थियों के आवेदन पत्र पर उस शिक्षक को शिक्षक पंजीकरण क्रमांक देना बंधनकारक है।

विद्यार्थी परीक्षा	शिक्षक पंजीयन क्रमांक स्तर
मध्यमा	मध्यमा, विशारद एवं अलंकार
विशारद	केवल विशारद एवं अलंकार
अलंकार	केवल अलंकार

रजिस्ट्रार कार्यालय :

वाशी : गांधर्व निकेतन, प्लॉट नं. 5, सेक्टर 9/ए, वाशी, नवी मुंबई - 400703. Mob.: 8657404920/21/22/23

मिरज : गांधर्व निकेतन, ब्राह्मणपुरी, मिरज - 416410. Mob.: 8657404917/18/19

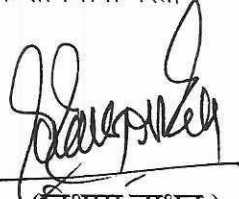
Email : registrar@abgmvm.org

Website : www.abgmvm.org

यदि किसी विद्यार्थी के आवेदन पत्र पर उसके स्तर से संबंधित न होने वाले शिक्षक का पंजीकरण क्रमांक अंकित किया हुआ पाया जाता है, तो संबंधित विद्यार्थी का फॉर्म निरस्त (रद्द) कर दिया जाएगा। साथ ही, गलत पंजीकरण क्रमांक प्रदान करने वाले संबंधित शिक्षक का शिक्षक पंजीकरण क्रमांक भी निरस्त (रद्द) कर दिया जाएगा।

3. शिक्षक पंजीकरण क्रमांक केवल संबंधित शिक्षकों द्वारा उपयोग में लाना बंधनकारक है। किसी केंद्र के ओर से ऐसे किसी शिक्षक पंजीकरण क्रमांक का उस शिक्षक के अपरोक्ष उपयोग करना नियमबाह्य है। ऐसे केंद्र पर प्रशासकीय कार्यवाही की जाएगी। संबंधित शिक्षक का शिक्षक पंजीकरण क्रमांक भी निरस्त (रद्द) कर दिया जाएगा।

सभी संबंधितों से अनुरोध है कि उपरोक्त सूचना को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक सावधानी बरतें।


(विश्वास जाधव)
रजिस्ट्रार

